

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 432]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 अगस्त 2010—भाद्र 3, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. 13-एफ क्र. 1-18-2010-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 25-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते) नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“3. पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिये दैनिक भत्ता—नगरपालिक निगम के महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षद को पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिए दैनिक भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा :—

(क)	महापौर	—	रुपये 11,000.00 पारिश्रमिक तथा रुपये 2500.00 सत्कार भत्ता प्रतिमाह
(ख)	अध्यक्ष (स्पीकर)	—	रुपये 9000.00 पारिश्रमिक तथा रुपये 1400.00 सत्कार भत्ता प्रतिमाह
(ग)	पार्षद (पदेन को छोड़कर)	—	रुपये 6000.00 पारिश्रमिक प्रतिमाह

(घ) निगम तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए महापौर, अध्यक्ष, पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये महापौर द्वारा वार्ड समिति में नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्य 225 रुपये प्रति बैठक की दर

से, जो 900.00 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे :

परन्तु एक दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक से अधिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।”

No. 13-F No. 1-18-2010-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 25-B of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Municipal Corporation (Remuneration and Allowances of Councillors) rules, 1995, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 3, the following rule shall be substituted namely:—

“3. **Remuneration and daily allowance for meetings**—The remuneration and daily allowance for meetings shall be payable to Mayor, Speaker and Councillor of every Municipal Corporation shall be at the following Rates :—

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| (a) | Mayor | — | Rs. 11000.00 remuneration and
Rs. 2500.00 entertainment Allowance, per month. |
| (b) | Speaker | — | Rs. 9000.00 remuneration and
Rs. 1400.00 entertainment Allowance, per month. |
| (c) | Councillor
(except Ex-officio) | — | Rs. 6000.00 remuneration per month. |
| (d) | For participating in the meetings of the Corporation and its Committees, the Mayor, Speaker, Councillors and the members nominated by Mayor in the Wards Committee for participating in the meetings of the concerned Wards Committee, a daily allowance at the rate of Rs. 225.00 per meeting not exceeding, Rs. 900.00, per month, shall be entitled to receive : | | |

Provided that participating for more than one meeting in a day, he shall not be eligible to get more than one allowance.”

क्र. 13-एफ क्र. 1-18-2010-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 के साथ पठित धारा 353 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते) नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाये, अर्थात्:—

“3. **पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिये दैनिक भत्ता**—प्रत्येक नगरपालिका तथा नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पार्षदों को पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिए दैनिक भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा :—

- | | | | |
|-----|--------------------------------|---|--|
| (1) | नगरपालिका परिषदों की दशा में,— | | |
| (क) | अध्यक्ष | — | रुपये 3000.00 पारिश्रमिक तथा
रुपये 1800.00 सत्कार भत्ता प्रतिमाह. |
| (ख) | उपाध्यक्ष | — | रुपये 2400.00 पारिश्रमिक तथा
रुपये 800.00 सत्कार भत्ता प्रतिमाह. |

- (ग) पार्षद — रुपये 1800.00 पारिश्रमिक प्रतिमाह
(पदेन को छोड़कर)
- (घ) परिषद् तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये अध्यक्ष द्वारा वार्ड समिति में नामनिर्दिष्ट किये गये सदस्य 195.00 रुपये प्रति बैठक की दर से, जो 375.00 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे :

परन्तु एक दिन में एक में अधिक बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक से अधिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

(2) नगर पंचायतों की दशा में,—

- (क) अध्यक्ष — रुपये 2400.00 पारिश्रमिक तथा
रुपये 1100.00 सत्कार भत्ता प्रतिमाह.
- (ख) उपाध्यक्ष — रुपये 2100.00 पारिश्रमिक तथा
रुपये 800.00 सत्कार भत्ता प्रतिमाह.
- (ग) पार्षद — रुपये 1400.00 पारिश्रमिक प्रतिमाह
(पदेन को छोड़कर)
- (घ) परिषद् तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये अध्यक्ष द्वारा वार्ड समिति में नामनिर्दिष्ट किये गये सदस्य 120.00 रुपये प्रति बैठक की दर से, जो 360.00 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे :

परन्तु एक दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक से अधिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.”

No. 13-F No. 1-18-2010-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 355 read with Section 353 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Municipalities (Remuneration and Allowances of Councillors) rules, 1995, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 3, the following rule shall be substituted namely:—

“3. **Remuneration and daily allowance for meetings**—The remuneration and daily allowance for meetings shall be payable to the President, Vice-President and Councillor of every Municipality and Nagar Panchayat shall be at the following Rates :—

(1) In case of Municipal Councils,—

- (a) President — Rs. 3000.00 remuneration and
Rs. 1800.00 entertainment Allowance, per month.
- (b) Vice-President — Rs. 2400.00 remuneration and
Rs. 800.00 entertainment Allowance, per month.
- (c) Councillor — Rs. 1800.00 remuneration per month.
(except Ex-officio)
- (d) For participating in the meetings of the Council and its Committees, the President, Vice-President, Councillors and the members nominated by President in the Wards Committee for participating in

the meetings of the concerned Wards Committee, a daily allowance at the rate of Rs. 195.00 per meeting not exceeding, Rs. 375.00, per month, shall be entitled to receive :

Provided that participating for more than one meeting in a day, he shall not be eligible to get more than one allowance.

(2) In case of Nagar panchayat,—

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| (a) | President | — | Rs. 2400.00 remuneration and
Rs. 1100.00 entertainment Allowance, per month. |
| (b) | Vice-President | — | Rs. 2100.00 remuneration and
Rs. 800.00 entertainment Allowance, per month. |
| (c) | Councillor
(except Ex-officio) | — | Rs. 1400.00 remuneration per month. |
| (d) | For participating in the meetings of the Council and its committees, the President, Vice-President, Councillors and the members nominated by President in the Wards Committee for participating in the meetings of the concerned Wards Committee, a daily allowance at the rate of Rs. 120.00 per meeting not exceeding, Rs. 360.00, per month, shall be entitled to receive : | | |

Provided that participating for more than one meeting in a day, he shall not be eligible to get more than one allowance.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, उपसचिव.